न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 103/2020.

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती सुआदेवी पुत्री स्व0 वगताराम पत्नी चौथाराम मलार जाति विश्नोई निवासी ग्राम श्री जम्भेश्वर नगर, कांकाणी तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– जयराम पुत्र स्व0 वगताराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम जम्भेश्वर नगर, कांकाणी तहसील लूनी, जिला जोधपुर 2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2020 अनवान जयराम बनाम राज्य सरकार वगैरा मे दिनांक 20–1–2020 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री अमर सिह चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 7–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि उसके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 411 रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा ग्राम जम्भेश्वर नगर पटवार हल्का कांकाणी तहसील लूनी मे आई हुई है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार के काबिज काश्त है । प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 411 की मार्ठो पर कोई स्थाई मुटाम नही होने के कारण उपरोक्त खसरे के सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है, उपरोक्त भूमि के माठ का कोई विवाद नही है इसलिए तहसीलदार लूनी द्वारा दिनांक 30–1–2019 को पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे सम्पन्न करवाई गई पैमाईश मौका रिपोर्ट अनुसार स्थाई पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–1–2020 द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 411 ग्राम जम्भेश्वर नगर की सेटलमेंट नक्शे के आधार पर मौके पर पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थियां ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हांजा के समक्ष पेश की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी

बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन खसरा नंबर 411 की भूमि के संबंध मे रेस्पो0 संख्या 1 स्वयं ने एक दावा अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी मे पेश किया जिसके अनवान जयराम बनाम भोलाराम है जिसमे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी ने राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए है । इसी प्रकार उपरोक्त खसरा नंबर का वाद बबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाडा का वर्तमान अपीलार्थियां सुआदेवी ने भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा है जिसका अनवान सुआदेवी बनाम जयराम वगैरा है जिसमे प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27–9–2017 को उपखण्ड अधिकारी ने स्थगन आदेश पारित कर रखा है, जो आज भी प्रभावी है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन कियां कि अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त दावा इस आधार पर पेश किया हुआ है कि अपीलार्थियां के पिता स्व0 बगतराम के एक पुत्री अपीलार्थियां एवं तीन पुत्र थे परंतु अन्य खसरा नंबर 411, 951, 970, 971, 987, 998, 992 कुल रकबा 180.16 बीघा भूमि मे अपीलार्थियां का 1/4 हिस्सा बनता है परंतु अपीलार्थियां के भाईयो ने आपस मे मिलावाट करके तथा आपसी सहमति से एक बंटवाडा कर लिया और अपीलार्थिया के विधिक अधिकार छीन लिये जबकि अपीलार्थियां हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि खसरा नंबर 411अ के अलावा उपरोक्त अन्य खसरे भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त कर लिये गये है जिसका मुआवजा भी अपीलांट के अलावा अपीलार्थियां के भाईयो ने प्राप्त कर लिया जिसके संबंध मे एक दिवानी वाद भी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 मे विचाराधीन है । अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा नंबर 411 की भूमि रकबा 55.13 बीघा जो शेष बची है जिसमे अपीलांट ने अपने हिस्से के कुछ भाग मे मकान बनाया हुआ है, जिसमे अपीलांट सपरिवार निवास करते आ रहे है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलार्थियां के भाई हणुताराम से जानकारी हुई कि उक्त भूमि मे पत्थरगढी व सीमाज्ञान का आदेश हो चुका है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी मे ही पक्षकारो के बीच दावा विचाराधीन है जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होते हुए उनके समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 के प्रार्थना पत्र पर बिना अपीलार्थियां को पक्षकार बनाये तथा सुने बिना पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये जबकि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे चल रहे दावे मे खसरा नंबर 411 बाबत राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए है इसलिए दावे की विचाराधीन रहते तथा स्थगन आदेश के प्रभाव मे होते अपीलाधीन भूमि मे पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किया ही नही जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यो को

नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पारित पत्थरगढी का आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न दावे से संबंधित दस्तावेज पेश किये तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश मे पुलिस ईमदाद का कोई आदेश पारित नही किया गया था परंतु तहसीलदार लूनी ने पुलिस इमदाद का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलार्थियां की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–1–2020 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को पढकर सुनाते हुए कथन किया है कि मै अपीलाधीन भूमि का रेकर्डेड खातेदार हूँ तथा मैने अपने खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नंबर 411 की माठो पर पक्के मुटाम नही होने से उक्त खसरा नंबर की भूमि की पत्थरगढी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया जिसके साथ बिधिवत मैने मेरे खातेदारी की पुष्टि बाबत जमाबंदी की नकल, अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 411 की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31–1–2019 तथा राजस्व नक्शे की प्रति आदि पेश किये जिसमे मैने केवल तहसीलदार लूनी भूमिधारी को ही पक्षकार बनाया क्योकि अन्य कोई खातेदार नही था इसलिए पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही थी । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि मैने तो केवल मेरे खातेदारी की भूमि की बाऊण्डरी को तय करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किया था तथा किसी भी खातेदार को अपने खातेदारी की बाऊण्डरी/सीमा की जानकारी करने का अधिकार है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबर 411 रकबा 55.13 बींधा भूमि जिसका सीमाज्ञान हो चुका है, की सेटलमेंट के नक्शे के आधार पर मौके पर पत्थरगढी करने का जो निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधिसम्मत होने से अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील का खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थियां अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे पक्षकार नही थी इसलिए उसे यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील के साथ अपील पेश करने की अनुमति का धारा 96 सीपीसी का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है इसलिए अपीलार्थियां को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील पेश

करने का लोकस नही होने से अपीलांट की उक्त अपील खारीज योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे ए.आई.आर.(सु.को.) पेज 4038 की निर्णय नजीर पेश की ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां द्वारा केवल घोषणा का दावा पेश कर देने मात्र से उसके अधिकार सृजित नही हो जाते है तथा यह भी कथन किया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा केवल खसरा नंबर 411 की बाऊण्डरी ही तय होनी है, केवल बाऊण्डरी तय होने से अपीलांट के हितो पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडेगा । अपीलार्थियां के अधिकार तो उसके द्वारा प्रस्तुत खातेदारी घोषणा के दावे के निर्णय से ही उत्पन्न होंगे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसीं प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही थी इसलिए अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील बिना अनुमति प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की है इसलिए अपीलार्थियां को वर्तमान अपील पेश करने का कोई अधिकार नही होनें से अपलार्थियां की अपील इसी स्तर पर खारीज की जानें का निवेदन किया । इसके अलावा यह भी कथन किया कि केवल मात्र अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच दावा विचाराधीन होने से कोई पक्षकार अपने खातेदारी खेत की सीमा की जानकारी या सीमा निर्धारण नही करवा सकता, अपीलार्थियां का यह कथन समर्थन योग्य नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीं मे उपलब्ध दस्तावेजात तथा वर्तमान अपील के साथ एवं बहस के दौरान अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया तथा वकील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीर आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 411 की माठो पर पक्के मुटाम नही होनें से उक्त खसरा नंबर की भूमि की पत्थरगढी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपनी खातेदारी की पुष्टि बाबत जमाबंदी की नकल, अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 411 की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31–1–2019 तथा राजस्व नक्शे की सत्यप्रति आदि पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–1–2020 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबर 411 की मौके पर पत्थरगढी सेटलमेंट नक्शे के आधार पर करने के आदेश प्रसारित किया गया था । जिसके विरूद्ध अपीलार्थियां ने वर्तमान अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी मे ही पक्षकारो के बीच दावे विचाराधीन है तथा उक्त दावे मे खसरा नंबर 411 बाबत राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए है इसलिए दावे की विचाराधीन रहते तथा स्थगन आदेश के प्रभाव मे होते अपीलाधीन भूमि मे पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किया ही नही जा सकता था । इसके अलावा अपीलांट ने यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 के प्रार्थना पत्र मे अपीलार्थियां को पक्षकार बनाये बिना तथा सुने बिना पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण मे पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस एवं रेकर्ड के अवलोकन से से प्रकट है कि अपीलार्थियां जो कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे पक्षकार नही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–1–2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र बाबत "अपील पेश की अनुमति" के बिना ही पेश की है, जो त्रुटिपूर्ण होने से इसी बिन्दु पर यह अपील निरस्त योग्य है, जैसाकि रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर ए. आई.आर.(सु.को.) पेज 4038 मे अभिनिर्धारित किया गया है । परंतु केवल इस तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपील को खारीज किये बिना अपील के गुणावगुण पर भी विवेचन किया जाना न्यायोचित समझते हुए उक्त अपील का आगे गुणावगुण पर अध्ययन करने पर यह स्थिति प्रकट हुई ।

वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 जयराम जो कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 411 का एकमात्र रेकर्डेड खातेदार है, जैसाकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी से प्रकट है जिसने अपने खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर पक्के मुटाम लगवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष पेश किया था तथा अपीलाधीन भूमि का कोई अन्य खातेदार नही होने से केवल तहसीलदार लूनी को ही अप्राथी पक्षकार बनाया तथा प्रार्थना पत्र के साथ विधिवत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, अपीलाधीन भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31–1–2019 एवं नजरी नक्शा आदि पेश किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–1–2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबर 411 की मौके पर पत्थरगढी सेटलमेंट नक्शे के आधार पर करने का जो अपीलाधीन

आदेश प्रसारित किये है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि जहां तक अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच उनके अधिकारो को लेकर खातेदारी घोषणा के दावे विचाराधीन हैं तो पक्षकारो के हक–अधिकारो का निर्धारण तो नियमित वाद के निर्णय से ही होना हैं । अपीलार्थियां तो आज दिनांक तक खातेदार ही नही है, तो बिना खातेदार घोषित हुए अपीलार्थियां को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार ही नही है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने जो खसरा नंबर 411 के खातेदारी की भूमि मे पत्थरगढ़ी के जो आदेश दिये है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहींन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–1–2020 यथावत रखा जाता है । अपीलार्थियां को उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी मे प्रस्तुत खातेदारी की घोषणा के दावे मे पारित होने वाले निर्णय से ही किसी प्रकार के हक अधिकार हासिल हो सकेंगे ।

निर्णय आज दिनांक 7–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

7.12.2020

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर